राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(8)नविवि/II/2019पार्ट   जयपुर, दिनांक 18.04.2020

–:आदेश:–

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज.सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 एवं कार्मिक (ख–3) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(8) कार्मिक/ख–3/2016 दिनांक 17.4.2020 के अनुसरण में नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 20.04.2020 से 01.05.2020 तक रोटेशन के आधार पर निम्नानुसार कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

क्र.सं.	दिनांक	नाम कार्मिक (सर्व श्री)
1.	20.4.2020 से 23.4.2020	विश्वास जैन, रघुवीर कुमार सोनवाल, हरिमोहन मीणा, मनीष यादव, नेहा चौधरी, श्रीमती सविता शर्मा, श्रीमती कान्ता शर्मा, श्रीमती राजकुमारी शर्मा
2.	24.4.2020, 27–28.4.2020	भवानी सिंह, यशपाल मीणा, चन्द्रभान, जयपाल सिंह, भुनेश्वर विजय, श्रीमती सविता शर्मा पत्नी श्री भागचन्द, प्रहलाद शर्मा, कुलदीप शर्मा
3.	29–30.4.2020 से 1.5.2020	राम मिश्रा, अनिल सिंह, गजेन्द्र शर्मा, रणवीर सिंह, चन्द्र सिंह हिंगड, सुरेश हरितवाल, सुनिल व्यास, लल्लू मीणा, श्रीमती बदाम देवी

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं अनुभागाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम नगरीय विकास विभाग उक्त अवधि में प्रति कार्य–दिवस को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्तानुसार रोटेशन के आधार पर कार्यालय में उपस्थित कार्मिकों के अतिरिक्त शेष रहे कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकतानुसार Work from Home पर कार्य करेंगें तथा आवश्यकता पडने पर कार्यालय पर तुरन्त प्रभाव से उपस्थित होंगे। इस लॉकडाउन अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय नहीं छोडेगें।

ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा राज्य के अन्य किसी भी क्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त या कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहते है, को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नही है। अतः ऐसे कार्मिक आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित नही होवें।

कोविड–19 से सुरक्षा एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकोविड इन्फो (Raj Kovid Info) तथा भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) विकसित किया गया है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह है कि आप उक्त एप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करने तथा कोरोना से बचाव हेतु उसका उपयोग करना सुनिश्चित करें।

समस्त कार्मिक भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के तहत कार्यालय में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने तथा मास्क एवं ग्लब्स पहन कर सेनेटाईजर के साथ उपस्थित होगें एवं सुरक्षा संबंधित अन्य दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए राजकीय कार्य सम्पादित करेगें।

आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–3)विभाग।
4. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राज.आवासन मण्डल/मुख्य नगर नियोजक एवं परियोजना निदेशक, मेट्रो को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय खोलने हेतु उक्तानुसार समुचित आदेश जारी करावें।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, नगरीय विकास विभाग
6. रक्षित पत्रावली।

18/4/2020

शासन सहायक सचिव–द्वितीय

Scanned with CamScanner